शिक्षक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 02-07-2020, वर्ग - B.A - II

जन्म दर ऊंची होने के कारण
(Causes of the High Birth Rate)

भारत में जन्म दर अब भी ऊंची है और यह आशा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप यह नीची होगी, निराधार सिद्ध हुई है। पिछले छः दशकों में भारत में जन्म दर में विशेष कमी नहीं हुई है। 1961 में भारत में कुल जननक्षमता दर (total fertility rate) 6.11 प्रति महिला थी जो 2001 तक कम होते-होते 3.50 प्रति महिला और 2010 में 2.5 प्रति महिला रह गई। निश्चय ही यह महत्त्वपूर्ण गिरावट है परन्तु अभी भी यह दर बहुत ज्याद है। इसका कारण यह है कि इस देश में अनेक आर्थिक और सामाजिक कारक ऊंची जननक्षमता के पक्ष में है।

आर्थिक कारक (Economic factors)–मनुष्य के व्यवहार पर आर्थिक वातावरण का काफी प्रभाव होता है यहां तक कि जननक्षमता भी आर्थि कारकों से प्रभावित होती है। ये आर्थिक कारक हैं कृषि की व्यापकता, शहरीकरण का नीचा स्तर और गरीबी की व्यापकता। अब हम विचार करेंगे इन कारकों ने भारत में जन्म दर को नीचे गिरने से किस तरह रोका है।

1. **कृषि की व्यापकता**–भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। खेती में लगे हुए लोगों के लिए बालक लम्बे अर्से तक भार नहीं होते। छोटी आयु ही वे पशुओं को चराने, खेतों की रखवाली करने, निराई करने आदि में पिता का हाथ बंटाने लगते हैं। इसलिए किसान अधिक सन्तान को बुरा समझते। लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि जिस देश में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार व्यापक हो वहां बाल-श्रम की परिवार के लिए उपयोगिता नहीं होगी। लेकिन इस तर्क में कोई सच्चाई है या नहीं इसे समझने के लिए हमें कृषि कार्य के स्वरूप को समझना होगा। भारत में जहां के तकनीक पिछड़े हैं और जहां कृषि कार्य में जुताई और फसलों की कटाई, निराई आदि के लिए ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है वहां बाल की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही ग्रामीण श्रम जांच समिति (Rural Labour Enquiry Commi ने लिखा है कि कृषि के बहुत व्यस्त मौसम में अनेक स्थानीय क्षेत्रों में श्रम की कमी हो जाने से श्रम बाजार में बाल श्रम की खपत हो जाती है।"[15] स्थिति में जन्म दर ऊंची होना स्वाभाविक है।

2. **शहरीकरण का नीचा स्तर**–पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में शहरों की संख्या और उनमें रहने वाली जनसंख्या का अनुपात बहुत व भारत में 31 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की तुलना में इंग्लैंड की जनसंख्या का 90 प्रतिशत से अधिक भाग शहरों में निवास करता है। शहरों में की समस्या, बच्चों का महंगा लालन-पालन, संयुक्त परिवार का टूटना आदि वे बहुत सारे कारण हैं जिनसे जन्म दर में कमी होती है। अनेक का विचार है कि भारत में जैसे-जैसे औद्योगीकरण बढ़ेगा जन्म दर में कमी होगी। लेकिन रोबर्ट कैसन (Robert Cassen) के अनुसार "भारत शहरीकरण हुआ है उसके साथ इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए हैं जो जन्म दर को नीचे लाते हैं। दरअसल समाजशास्त्रीय अध्ययनों के ग्रामीण जीवन की सामाजिक व्यवस्था और वहां का पारिवारिक ढांचा कस्बों अथवा शहरों में आश्चर्यजनक ढंग से जीवित है।"[16]

3. **रीबी की व्यापकता**–अल्पविकसित देशों में व्यापक गरीबी, उच्च जन्मदर का एक मुख्य कारण है। महमूद ममदानी ने लिखा है, "लो गरीब नहीं हैं कि उनके परिवार बड़े हैं। इसके विपरीत, उनके परिवार इसलिए बड़े होते हैं, क्योंकि वे गरीब हैं।"[17] अब हम भारत में ऊंची के पीछे आर्थिक तार्किकता को समझने की कोशिश करेंगे। परिवार की आय का स्तर नीचा होने पर परिवार में एक अतिरिक्त बच्चे के ल पर आने वाले खर्च की तुलना में उससे प्राप्त होने वाले फायदे ज्यादा होते हैं। ये परिवार बच्चों से तीन प्रकार के फायदों की आशा करते हैं– अतिरिक्त आय, सामाजिक सुरक्षा और विभिन्न प्रकार की सेवाएं। विश्व बैंक के प्रकाशन *World Development Report* 1984 के "गरीब माता-पिताओं के लिए बच्चों की परवरिश की लागत नीची होने के ठोस कारण हैं। बच्चों से आर्थिक (और अन्य) लाभ ज्यादा हैं, ज्यादा बच्चे होना आर्थिक दृष्टि से विवेकपूर्ण है।"[18] इस मत की पुष्टि गुन्नार मिर्डल (Gunnar Myrdal) ने भी की है। उनके अनुसार " में बच्चे भार नहीं होते। इसके विपरीत, अक्सर वे व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा का एकमात्र साधन होते हैं।"[19]

सामाजिक कारक (Social Factors)–भारत में ऊँची जन्म दर बनाए रखने में सामाजिक कारकों का योगदान बहुत है। विवाह की व्यापकता, विवाह के समय कम उम्र का होना, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रणाली, शिक्षा का अभाव और संतति निरोधक उपायों का सीमित उपयोग वे महत्त्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से इस देश में जन्म दर में ज्यादा कमी नहीं हो पा रही है। अब हम इन कारकों के विषय में विस्तार के साथ विचार करेंगे।

1. विवाह की व्यापकता–भारत में विवाह एक धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकता है। भारत में परम्परा के अनुसार माता-पिता अपनी कन्याओं का विवाह करना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसके फलस्वरूप 50 वर्ष की आयु तक 1,000 में से केवल 5 स्त्रियों का ही विवाह नहीं होता। इस तरह विवाह की व्यापकता से लगभग सभी स्त्रियों का जनसंख्या वृद्धि में काफी योगदान रहता है। देश में शिक्षा के प्रसार के साथ जब विवाह के बारे में लोगों के दृष्टिकोण बदलेंगे और काफी स्त्रियां विवाह नहीं करेंगी तभी जनसंख्या वृद्धि पर कुछ रोक लगेगी। लेकिन भारत में अभी ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती।

2. विवाह के समय कम उम्र होना–जनसंख्या विशेषज्ञों की राय में स्त्रियों का कम उम्र में विवाह उनकी ऊंची जननक्षमता का कारण है। एन. सी. दास की जांच से पता चला है कि 20 से 24 वर्ष के बीच में विवाह करने वाली स्त्रियों की जननक्षमता 20 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाली स्त्रियों के बराबर ही होती है। जब विवाह की उम्र 25 या अधिक होती है तभी जननक्षमता कुछ कम होती है।[80] भारत में इस समय भी स्त्रियों की विवाह के समय औसत आयु 18 वर्ष के आस-पास है, इसलिए यह कारक जननक्षमता के नीचे आने में बराबर बाधक रहेगा। UNFPA द्वारा नवम्बर 2012 में जारी *State of World Population 2012* रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 47 प्रतिशत स्त्रियों का विवाह आज भी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाता है।[81]

3. धार्मिक और सामाजिक अन्धविश्वास–साधारण भारतीय की दृष्टि से सन्तान का जन्म ईश्वर की कृपा है। वे इसमें हस्तक्षेप ठीक नहीं समझते। इसके अतिरिक्त धार्मिक और सामाजिक अन्धविश्वासों के कारण साधारणतया सभी भारतीय सन्तान की इच्छा रखते हैं। हिन्दू तो पुत्र को परलोक में मुक्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। इस रूढ़िवादिता के कारण भारतीय विवाह होते ही सन्तानोत्पत्ति में लग जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति तो पुत्र जन्म की इच्छा से उस समय तक सन्तानोत्पत्ति करते रहते हैं जब तक कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती।

4. संयुक्त परिवार प्रथा–भारतीय नगरों में हालांकि संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने लगी है फिर भी गांवों में यह अब भी जीवित है। संयुक्त परिवार में अक्सर माता-पिता पर सन्तान के लालन-पालन का भार और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से नहीं होती। यदि परिवार का मुखिया अथवा कोई सदस्य रोजगार में लगा हुआ है जिससे पर्याप्त आय हो रही है तो सन्तान पैदा करने से पहले युवा दम्पति कोई जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते। यह मानकर चलते हैं कि उनकी सन्तान के पालन की जिम्मेदारी भी परिवार के कर्ता अथवा मुखिया पर ही है।

5. शिक्षा का अभाव–*भारत में अशिक्षा व्यापक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में 74.0 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। स्त्रियों में साक्षरता* र भी कम अर्थात् 65.5 प्रतिशत थी जबकि पुरुषों में साक्षरता अनुपात 82.1 प्रतिशत था।[82] स्त्रियों में साक्षरता प्रायः शहरी क्षेत्रों में केन्द्रित है और क्षरता सबसे ज्यादा पिछड़े राज्यों में है। अनेक अर्थशास्त्रियों की राय है कि केवल शिक्षा से ही परिवार, विवाह और बाल जन्म के विषय में लोगों के शर बदल सकते हैं। जब तक बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित रहेंगे उनके अन्ध-विश्वास नहीं बदलेंगे और चाहे बड़े परिवार से उन्हें गरीबी का कितना सामना क्यों न करना पड़े वे इस सम्बन्ध में अपने विचार नहीं बदलेंगे। इस बात के अब काफी सांख्यिकीय प्रमाण हैं कि हायर सेकंडरी स्कूल तथा ेज की शिक्षा से जननक्षमता नीचे आती है। एक तो इस शिक्षा लेने के प्रयास में विवाह के समय आयु ऊंची हो जाती है, फिर शिक्षित लोग रविश्वासी कम होते हैं और परिवार नियोजन को जीवन स्तर सुधारने का एक सही उपाय मानते हैं।

6. संतति निरोधक उपायों का सीमित उपयोग–भारत में अभी संतति निरोधक उपायों का प्रयोग सामान्यतः नगरों की शिक्षित जनसंख्या तक ही त है। यद्यपि गांवों में भी राज्य द्वारा परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार कार्य चल रहा है तथा संतति निरोध के लिए तरह-तरह की सुविधाएं प्रदान ा रही हैं, फिर भी वहां अभी अधिक सफलता नहीं मिल सकी है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 1990 से 1998 की आठ वर्षों की अवधि रत में संतानोत्पत्ति में सक्षम आयु वर्ग की केवल 41 प्रतिशत स्त्रियाँ संतति निरोधक उपायों का प्रयोग करती थीं जबकि चीन में इस आयु वर्ग में वाली 85 प्रतिशत स्त्रियों ने संतति निरोध के उपायों का प्रयोग किया।

उपरोक्त सभी कारण जो देश में उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेवार है, स्थायी नहीं हैं। जैसे-जैसे देश में औद्योगीकरण की प्रक्रिया तेज होती जाएगी इसके साथ शहरी जनसंख्या का विस्तार होगा, जन्म दर में तेज गिरावट होगी। आशा की जाती है कि देश में शिक्षा के प्रसार से परिवार नियोजन त्व आम जनता की समझ में आने लगेगा और लोग परिवार का आकार छोटा रखने के लिए प्रेरित होंगे। कई एशियाई देशों जैसे चीन, थाईलैंड ीलंका में ऐसा हुआ है और उनमें गर्भ निरोधक प्रचलन दर (contraceptive prevalence rate) 1990-2011 की अवधि में क्रमशः 85, 80 तथा

2

* Institutional Change or Institutional Structure - 6
Land Reforms, Farm size and Productivity.

संस्थागत सुधारों के बिना तकनीकी उन्नति सम्भव नहीं है। संस्थागत नीतियों द्वारा ही कृषि-उत्पादकता बढ़ सकती है। भारत में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् निम्न **संस्थागत नीतियां** अपनाई गई हैं–

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन (Abolition of Zamindari and Other Intermediators)— स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् जागीरदारों और बँटाईदारों आदि मध्यस्थों का देश की भूमि के 40% भाग पर अधिकार था। काश्तकारों के शोषण तथा कृषि के पिछड़ेपन का यही कारण था। पहली तथा दूसरी योजना में इन सभी मध्यस्थों का अन्त किया गया। इससे लगभग 2½ करोड़ से अधिक काश्तकार मालिक बन चुके हैं। उनका सरकार से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। परिणामस्वरूप बहुत-सी कृषि योग्य बेकार भूमि सरकार के हाथ में आ गई। इस भूमि पर भूमिहीन किसानों को बसाया गया है। इससे कृषि-क्षेत्र और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

2. भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण (Ceiling on Land Holdings)—इसका अभिप्राय यह है कि एक परिवार या व्यक्ति के लिए खेती योग्य भूमि की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए भारत में विभिन्न राज्यों में

कृषि जोतों की उच्चतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से कानून लागू किए गए। इसके मुख्य उद्देश्य थे–*(i)* कृषि वितरण में असमानता को दूर करना, *(ii)* आय की असमानताओं को कम करना, *(iii)* भूमिहीनों को भूमि दिलवाना *(iv)* भूमि को बँटाई पर देने की प्रथा को समाप्त करना।

3. काश्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)—काश्तकारी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वयं खेती नहीं करता अपितु किराए पर खेती करवाता है। विभिन्न जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों में यह छूट दी गई थी कि विधवाएँ, अवयस्क, सैनिक या असमर्थ लोग अपनी भूमि को लगान पर दूसरों से खेती करवा सकते हैं। इसे काश्तकारी या पट्टेदारी व्यवस्था कहते हैं। भारत में 40% खेती इसी तरह की जाती है। भारत में ऐसे काश्तकारों की दशा अच्छी न थी। इनकी दशा सुधारने के लिए निम्न कानून बनाए गए :

(i) **लगान से छूट** (Exemption from Rent)—प्राकृतिक प्रकोप के समय जब सरकार भू-स्वामियों का लगान माफ करती है तो काश्तकारों का लगान भी स्वयं माफ होगा।

भारत में कृषि संस्थागत नीतियाँ या भूमि सुधार

1. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
2. भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण
3. काश्तकारी सुधार
4. सहकारी खेती
5. चकबन्दी
6. भूदान आन्दोलन

(ii) **भूम स बदखल नहा** (No Eviction from Land)—काश्तकार का भूम स ग़र-कानूना ढग स बेदखल नहीं किया जा सकता।

(iii) **काश्तकारा का मुआवजा** (Compensation to Tenaurs)—जब काश्तकार स्वच्छा स भूम छाड़ता है तो उसने भूमि पर जो स्थायी सुधार किए थे, जैसे—कुआँ बनवाने, इमारत बनवाने, मेंड़ें या नालियाँ बनवाने आदि का मुआवजा दिया जाएगा।

(iv) **लगान का निर्धारण** (Fixation of Rent)—काश्तकारों से भूमि उपज का 1/4 या 1/5 भाग ही लगान के रूप में लिया जा सकता है।

(v) **उपहारा पर राक** (Check on Gifts)—काश्तकारों से बंकार या उपहार लेना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है।

(vi) **कुर्की नहीं** (No Attachment)—यदि किसी काश्तकार ने लगान न दिया हो तो उसके पशु, औजार तथा खड़ी फसल को कुर्की नहीं की जा सकती।

4. सहकारी खेती (Co-operative Farming)— भारतीय सरकार ने सरकारी खेती को भी प्रोत्साहन दिया है। इसके अन्तर्गत छोटे-छोटे भू-खण्डों के स्वामी अपनी भूमि और दूसरे कृषि-यन्त्र मिलाकर तथा मिल-जुलकर खेती के कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप *(i)* किसानों के खेत बड़े हो जाते हैं, *(ii)* वे अच्छे बीज, खाद, सिंचाई यन्त्रों का प्रयोग करते हैं। *(iii)* वे मध्यस्थों के शोषण से बच जाते हैं। *(iv)* कृषि उत्पादन बढ़ता है, *(v)* किसानों की आय बढ़ती है। *(vi)* उनका जीवन-स्तर ऊँचा होता है।

5. चकबन्दी (Consolidation of Land Holdings)— चकबन्दी से तात्पर्य भूमि की उस व्यवस्था से है जिसमें एक ही किसान के स्वामित्व में अलग-अलग स्थानों पर बिखरे हुए भूमि के टुकड़ों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है तथा उसे एक बड़े खेत में बदल दिया जाता है।

पहली पंचवर्षीय योजना में चकबन्दी का काम आरम्भ हो गया था। सभी राज्यों में चकबन्दी की प्रगति समान रूप से नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पूरा होने को है। अब तक 620 लाख हेक्टेयर भूमि पर चकबन्दी की जा चुकी है।